

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ0 एफ0 पी0 भवन धुर्वा, राँची।

पत्रांक:-परि०आ०(CG)-120/2018

919

/राँची, दिनांक:- 20.09.2023

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
चंद्रावती भवन, तृतीय तल, "सी" ब्लॉक, नया रायपुर,
छत्तीसगढ़।

विषय: मार्ग-राँची से कुसुमी भाया सिसई, गुमला, डुमरी, महुआटांड (B-32) पर श्री प्रमोद किशोर कंडुलना के वाहन सं०-JH01BX-2647, Model-2015 के पक्ष में झारखण्ड प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट सं०-P.St.S.-0005/2018(CG) के प्रत्यर्पण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मार्ग-राँची से कुसुमी भाया सिसई, गुमला, डुमरी, महुआटांड (B-32) पर श्री प्रमोद किशोर कंडुलना के वाहन सं०-JH01BX-2647, Model-2015 के पक्ष में झारखण्ड प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट सं०-P.St.S.-0005/2018(CG) के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि उक्त परमिट के प्रत्यर्पण हेतु अग्रोत्तर कार्रवाई की जा सके:-

1. उक्त परमिट से आवृत वाहन का परमिट अवधि में परिचालन हुआ है अथवा नहीं ?
2. उक्त परमिट से आवृत वाहन का परमिट अवधि में छत्तीसगढ़ प्राधिकार का मार्ग कर भुगतान की स्थिति।
3. उक्त परमिट से आवृत वाहन के प्रत्यर्पण संबंधी छत्तीसगढ़ प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन

20.9.23.

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।